प्रेस नोट
दिनांक 09.01.2025

थाना को0नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मोटरसाईकिल चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 03 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से 15 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को किया गया बरामद–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना को0 नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0–781/24, धारा 303(2)बीएनएस, मु0अ0सं0–10/25, धारा 303(2) बीएनएस व थाना छपिया में पंजीकृत मु0अ0सं0–199/21, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना में संलिप्त 03 शातिर चोरों–01. राजा सोनी पुत्र महादेव सोनी नि0 मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर, 02. दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा नि0 सिंहपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा, 03. अभिषेक तिवारी पुत्र ननकन तिवारी नि0 दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को जेल रोड से गिरफ्तार कर उनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की 15 अदद मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आज दिनांक 09.01.2024 को प्रातः 4:00 बजे थाना को0नगर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम वाहन चोरी पर नियंत्रण एवं चोरी गयी मोटरसाईकिलों की बरामदगी व चोरो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि सूचना प्राप्त हुई कि वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 03 सदस्य चोरी की मोटरसाईकिलों के साथ कटहाघाट रोड की तरफ से जेल रोड होते हुए अम्बेडकर चौराहा की तरफ आ रहे है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा जेलरोड पावर हाउस के पास बैरिकेडिंग कर 03 वाहन चोरों–01. राजा सोनी पुत्र महादेव सोनी, 02. अभिषेक तिवारी पुत्र ननकन तिवारी, 03. अभिषेक तिवारी पुत्र ननकन तिवारी को गिरफ्तार उनके कब्जे से 03 अदद चोरी की मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों की निशानदेही से लखनऊ गोण्डा मार्ग के बगल बहद ग्राम माधवपुर चकत्ता खण्डहर मकान से 12 अदद चोरी की अन्य मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार अभियुक्तगणों से कड़ाई से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने हेतु जनपद गोण्डा, बस्ती व अन्य जनपदों में मोटरसाईकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। इन अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 06.01.2025 को आशीर्वाद हॉस्पिटल गोण्डा से एच0एफ0 डिलक्स मोटरसाईकिल, दिनांक 10.10.2024 को महिला जिला अस्पताल गोण्डा से सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल, दिनांक 20.03.2021 को बभनान रेलवे स्टेशन के पास से सुपर स्पेलेण्डर मोटरसाईकिल चोरी की थी तथा अन्य मोटरसाईकिलों को विभिन्न जनपदों से चोरी की गयी थी। चोरी की मोटरसाईकिलों को इकठ्ठा कर डीसी0एम0/मिनी ट्रक में लाद कर नेपाल में बेच देते है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. राजा सोनी पुत्र महादेव सोनी उम्र नि0 मथुरा बाजार थाना ललिया जनपद बलरामपुर।
02. दुर्गेश मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा नि0 सिंहपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
03. अभिषेक तिवारी पुत्र ननकन तिवारी नि0 दलपतपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0–781/24, धारा 303(2)बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–10/25, धारा 303(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–199/21, धारा 379 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–334/23, धारा 379 भादवि को0 नगर जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–13/2025, धारा 317(2),318(4),319(2),317(4),317(5) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद एच0एफ0 डिलक्स नम्बर यू0पी0 47 क्यू0 4157
02. 01 अदद सुपर स्पेलेण्डर बिना नम्बर प्लेट।
03. 01 अदद सुपर स्पेलण्डर नम्बर यू0पी0 43 ए0के0 1046
04. 01 अदद होण्डा साइन बिना नम्बर प्लेट।
05. 01 अदद टी0वी0एस0 स्पोर्ट नम्बर यू0पी0 47 डी0 0127
06. 01 अदद पैशन प्रो0 नम्बर यू0पी0 43 आर 8833
07. 01 अदद स्पेलेण्डर प्लस यू0पी0 43 एल0 1484
08. 01 अदद अपाचे नम्बर यू0पी0 41 ए0ई0 0860
09. 01 अदद प्लेटिना नम्बर यू0पी0 यू0पी0 32 डीएस0 2658
10. 01 अदद ग्लैमर नम्बर यू0पी0 43 ए0एक्स0 4436
11. 01 अदद डिस्कवर नम्बर यू0पी0 43 वी 09615
12. 01 अदद एच0एफ0 डिलक्स नम्बर यू0पी0 40 यू0 5312
13. 01 अदद होण्डा एस0पी0 नम्बर यू0पी0 43 ए0एस0 5162
14. 01 अदद बजाज सी0टी0 100 नम्बर यू0पी0 43 एफ0 0412
15. 01 अदद डिस्कवर नम्बर यू0पी0 43 एम0 8344

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. नि0 अरविन्द यादव अतिरिक्त प्र0नि0 को0 नगर।
02. नि0 संजय कुमार गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी0।
03. उ0नि0 अनुज त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस।
03. उ0नि0 अविनाश सिंह।
04. उ0नि0 विकाश गुप्ता।
05. उ0नि0 विपुल कुमार पाण्डेय।
06. उ0नि0 उदित वर्मा।
07. हे0का0 राकेश सिंह।
08. हे0का0 हे0का0 रणधीर सिंह।
09. हे0का0 अमित पाठक।
10. हे0का0 अरूण यादव।
11. हे0का0 महेन्द्र यादव।
12. का0 आदित्य पाल।
13. का0 लोकेश नागर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 09.01.2025</u>

<u>गोण्डा पुलिस द्वारा 176 गुमशुदा स्मार्टफोन (कीमत लगभग 26 लाख रू0) बरामद किए, खोये हुए मोबाइल को वापस पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे पर लौटीं खुशियां–</u>

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत द्वारा गुमशुदा मोबाइल के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण/मोबाइल बरामदगी हेतु जनपदीय पुलिस/सर्विलांस सेल को निर्देशित किया गया था तथा खोये हुए मोबाइलों की शीघ्र बरामदगी कर उनके मालिको को सुपुर्द करने हेतु निर्देश दिए गए थे। जिसके अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस/सर्विलांस सेल द्वारा खोये हुए प्रत्येक मोबाइल की लगातार ट्रैकिंग कर 176 मोबाइल विभिन्न जनपद/राज्यों से बरामद किया। जनपदीय पुलिस/सर्विलांस सेल खोये हुए इन मोबाइलों की बरामदगी के लिए किये गए प्रयासों के फलस्वरूप कुल–176 खोये हुए विभिन्न कम्पनियों जैसे– वीवों, रेडमी, ओप्पो, सैमसंग ,रियलमी आदि मोबाइल बरामद करने पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने पुलिस कार्यालय में मोबाइल स्वामियों को बुलाकर सुपुर्द किया गया। बरामद किए गए समस्त मोबाइलों की अनुमानित मूल्य 26 लाख रू0 है।

<u>अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा उपस्थित सभी मोबाइल स्वामियों को साइबर क्राइम से बचने हेतु टिप्स एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया।</u>

<u>बरामदगी का विवरण–</u>

खोये हुए 176 स्मार्ट फोन बरामद (कीमत लगभग 26 लाख रू)

01. सर्विलांस सेल–36 मोबाइल फोन।
02. को0 कर्नलगंज–35 मोबाइल फोन।
03. थाना को0 नगर–34 मोबाइल फोन।
04. थाना धानेपुर–21 मोबाइल फोन।
05. थाना मनकापुर–11 मोबाइल फोन।
06. थाना को0 देहात–07 मोबाइल फोन।
07. थाना छपिया–06 मोबाइल फोन।
08. थाना तरबगंज–06 मोबाइल फोन।
09. थाना मोतीगंज–06 मोबाइल फोन।
10. थाना खरगूपुर–05 मोबाइल फोन।
11. थाना नवाबगंज–05 मोबाइल फोन।
12. थाना उमरीबेगमगंज–04 मोबाइल फोन।

<u>बरामद कर्ता टीम–</u>

01. नि0 श्री संजय गुप्ता प्रभारी एस0ओ0जी0
02. जनपदीय साइबर हेल्प डेस्क टीम।
03. उ0नि0 अनुज त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस।
04. मु0आ0 हृदय नारायण दीक्षित सर्विलांस सेल।
05. हे0का0 अमित पाठक सर्विलांस सेल।
06. हे0का0 रवि यादव सर्विलांस सेल।
07. आ0 अमितेश सिंह सर्विलांस सेल।
08. आ0 अंशुमान पाण्डेय सर्विलांस सेल।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 09.01.2025, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 20,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाकं 15.03.2018 को थाना को0नगर को सूचना प्राप्त हुई की एक महिला के साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0- 160/2018, धारा 376 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री अशोक कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 01.07.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री सुर्य प्रकाश सिंह द्वारा थाना को0नगर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोर्हरिर म0का0 नम्रता चौधरी व थाना को0नगर के पैरोकार हे0का0 अशोक कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 09.01.2025 को दोषी अभियुक्त – नसीर पुत्र मकसूद निवासी लालापुरवा महादेव, थाना को0देहात, जनपद गोण्डा को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. नसीर पुत्र मकसूद निवासी लालापुरवा महादेव, थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 160/2018, धारा 376 भादवि थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 09.01.2025, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से गैर इरादतन हत्या करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई क्रमशः 03 वर्ष व 07 वर्ष कारावास व प्रत्येक को रूपये 08,000/- अर्थदण्ड की सजा-

दिनाकं 12.04.2021 को थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत मारपीट होने की सूचना प्राप्त हुई थी । जिसके सम्बन्ध में थाना खरगूपुर पर मु0अ0सं0- 107/2021, धारा 323, 304, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.06.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा थाना खरगूपुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक सुश्री अनिता साहू, कोर्ट मोहर्रिर का0 शिवपाल सिंह व थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 वासूदेव कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 09.01.2025 को दोषी अभियुक्तों – 01. मंगनू पुत्र प्रयागदत्त को 07 वर्ष का कारावास व 02. पूजा पत्नी मंगनू को 03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 08,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. मंगनू पुत्र प्रयागदत्त निवासी भंगहा थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।
02. पूजा देवी पत्नी मंगनू निवासी भंगहा थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 107/2021, धारा 323, 304, 504, 506 भादवि थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा.

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 09.01.2025, मानिटरिंग सेल
जनपद गोण्डा।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से अवैध शस्त्र रखने के आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 1,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप अवैध शस्त्र रखने के आरोपी में 01 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 1,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

दिनाकं 24.09.2002 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ अभियुक्त रामबहाल खटिक पुत्र बाबूलाल खटिक निवासी खिरौरा मोहन थाना को0देहात, जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का0 हरेश कुमार व थाना को0देहात के पैरोकार हे0का0 रामजीत पटेल के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/गैगेस्टर एक्ट गोण्डा श्री राजबहादुर रामदेव यादव महोदय द्वारा 01 वर्ष का सश्रम कारावास व रू 1,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. रामबहाल खटिक पुत्र बाबूलाल खटिक निवासी खिरौरा मोहन थाना को0देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-242/2002, धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।